



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 दिनांक 21.12.2025

साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञापित क्र.-16260/53/2025/अनु.-10

इंदौर दिनांक :-25/02/2026

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01/ विज्ञापन क्रमांक-01/2025/27.03.2025, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 01.06.2025।

| | |
|-----|--|
| (1) | सूचना पत्र क्रमांक-01/01/2025 दिनांक 16.10.2025 (परीक्षा आयोजन की सूचना विषयक)। |
| (2) | शुद्धि पत्र क्रमांक-01/01/2025 दिनांक 24.02.2026 (पदों में वृद्धि की सूचना विषयक)। |

02/ उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 21.12.2025 (रविवार) को एक सत्र में 12:00 से 03:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

| श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----|----|-----|-----|-------|
| क्र. | विवरण | UR | SC | ST | OBC | EWS | TOTAL |
| (अ) | कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST) | 22 | 14 | 17 | 23 | 9 | 85 |
| (ब) | कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE) | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 30 |
| (द) | कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH) | (PH-NIL) | | | | | - |

04/ अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के प्रकाश में सामान्य विभाग, 'मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के अनुक्रम में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-01/2025/27.03.2025 के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुपालन में तथा विद्यमान नियमानुसार लघुसूचीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है।

अर्हता सूची तैयार किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु) पदों का विवरण आयोग द्वारा

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
MINING INSPECTOR EXAM 2025 - PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

| S.NO. | ROLLNO | S.NO. | ROLLNO | S.NO. | ROLLNO | S.NO. | ROLLNO |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1. | 100012 | 37. | 101470 | 73. | 101906 | 109. | 102295 |
| 2. | 100053 | 38. | 101483 | 74. | 101907 | 110. | 102323 |
| 3. | 100068 | 39. | 101553 | 75. | 101909 | 111. | 102324 |
| 4. | 100107 | 40. | 101556 | 76. | 101912 | 112. | 102327 |
| 5. | 100117 | 41. | 101567 | 77. | 101937 | 113. | 102336 |
| 6. | 100185 | 42. | 101578 | 78. | 101954 | 114. | 102342 |
| 7. | 100287 | 43. | 101590 | 79. | 101959 | 115. | 102345 |
| 8. | 100345 | 44. | 101591 | 80. | 101968 | 116. | 102383 |
| 9. | 100355 | 45. | 101593 | 81. | 101975 | 117. | 102386 |
| 10. | 100385 | 46. | 101609 | 82. | 101980 | 118. | 102388 |
| 11. | 100428 | 47. | 101614 | 83. | 101982 | 119. | 102399 |
| 12. | 100437 | 48. | 101617 | 84. | 101992 | 120. | 102404 |
| 13. | 100477 | 49. | 101627 | 85. | 102004 | 121. | 102418 |
| 14. | 100541 | 50. | 101651 | 86. | 102008 | 122. | 102421 |
| 15. | 100559 | 51. | 101669 | 87. | 102020 | 123. | 102428 |
| 16. | 100642 | 52. | 101680 | 88. | 102044 | | |
| 17. | 100662 | 53. | 101685 | 89. | 102064 | | |
| 18. | 100855 | 54. | 101691 | 90. | 102071 | | |
| 19. | 100959 | 55. | 101702 | 91. | 102072 | | |
| 20. | 101241 | 56. | 101714 | 92. | 102084 | | |
| 21. | 101275 | 57. | 101725 | 93. | 102088 | | |
| 22. | 101280 | 58. | 101740 | 94. | 102112 | | |
| 23. | 101284 | 59. | 101742 | 95. | 102113 | | |
| 24. | 101292 | 60. | 101761 | 96. | 102133 | | |
| 25. | 101308 | 61. | 101766 | 97. | 102159 | | |
| 26. | 101309 | 62. | 101767 | 98. | 102161 | | |
| 27. | 101313 | 63. | 101783 | 99. | 102169 | | |
| 28. | 101327 | 64. | 101821 | 100. | 102185 | | |
| 29. | 101352 | 65. | 101828 | 101. | 102189 | | |
| 30. | 101398 | 66. | 101831 | 102. | 102190 | | |
| 31. | 101402 | 67. | 101857 | 103. | 102194 | | |
| 32. | 101417 | 68. | 101861 | 104. | 102204 | | |
| 33. | 101430 | 69. | 101864 | 105. | 102219 | | |
| 34. | 101433 | 70. | 101869 | 106. | 102237 | | |
| 35. | 101438 | 71. | 101883 | 107. | 102245 | | |
| 36. | 101441 | 72. | 101902 | 108. | 102286 | | |

M. H. H. H.
25.2.2026

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

| विज्ञापन क्रमांक :- 01/2025/01.06.2025 | पद/परीक्षा का नाम :- खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 | |
|--|--|--------------------------------|
| अनुक्रमांक- | अभ्यर्थी का नाम :- | |
| 1. | उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 2. | उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 3. | उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 4. | व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। 05 छायाप्रतियां पृथक से प्रस्तुत करना है एवं छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।) | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 5. | व्यक्तिगत विवरण पत्रक-साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी (5 प्रतियों में)। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 6. | अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 7. | घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 8. | हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 9. | हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 10. | विज्ञापन अनुसार अर्हता संबंधी स्नातक/डिप्लोमा की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि। (समस्त अर्हता ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 01.06.2025 अथवा उसके पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 11. | मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। (आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 12. | मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 01.06.2025 अथवा उसके पूर्व जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 13. | आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम निरीक्षक द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे)। (ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 01.06.2025 अथवा उसके पूर्व जारी प्रमाण पत्र)(छायाप्रति)। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 14. | म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 15. | मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2025-2026 का जारी ई.डब्ल्यू.एस. के वैध प्रमाण पत्र की छायाप्रति। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 16. | महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 17. | शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 01.06.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 18. | मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 19. | अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/झायविंग लायसेंस) (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 20. | न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फॉर्म के पृष्ठ 4 कांडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर कांडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (3 प्रति) | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 21. | आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| 22. | अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है। | पृष्ठ क्रमांकसे तक |
| | कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में) | |

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-.....

अविरत /

05/ साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 18/03/2026 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों एवं अभिलेखों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06/ ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 18/03/2026 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयवधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

| | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 01. | निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रथम 05 कार्यालयीन दिवस तक राशि रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)। | दिनांक 23/03/2026 से 30/03/2026 तक |
| 02. | साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)। | - |

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार हेतु दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
3. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर विवर्जित (Debar) भी किया जा सकता है।
5. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
6. उपरोक्तानुसार जारी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत सूची के अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक SLP NO. 8764/2023 एवं याचिका क्रमांक-SLP NO. 12398/2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक-5596/2024 समान अन्य याचिकाओं


के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 18/03/2026 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर खनि निरीक्षक परीक्षा-2025 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।


25.2.2026
उप परीक्षा नियंत्रक